

फर्द अहकाम
(नियम 26)


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- गुमानसिंह पुत्र मांगीलाल वगैरह - बनावत :-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर :- 125/2023

	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>प्रार्थी उपस्थित।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प सांगावास में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मौजा- झुझण्डा में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 112 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थीगण गुमानसिंह, घेवरराम, चन्दरीया, पानी, सुगन, सम्पतसिंह की जाती वजीर दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेजात में रावणा-राजपुत हैं, प्रार्थी ने अपनी अशुद्ध दर्ज जाती वजीर के स्थान पर रावणा-राजपुत शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>प्रशासन गांवो के संग अभियान सांगावास में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक आगेवा व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- झुझण्डा में स्थित कृषि भूमि ख.नं. ख. नं. 112 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का की जाती वजीर दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में रावणा-राजपुत दर्ज हैं, प्रार्थी की जाती वजीर के स्थान पर रावणा-राजपुत शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं।</p> <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक आगेवा व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा- झुझण्डा में स्थित कृषि भूमि ख.नं. ख.नं. 112 में प्रार्थीगण की जाती वजीर त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि वजीर को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक जाती “ रावणा-राजपुत ” दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p> <p> S.D.O. (पुनः विचारण) उपखण्ड अधिकारी एवं पटवारी जैतारण (पाली)</p>	

